7

बच्चे स्कूल से बाहर क्यों?

*छवि कटारिया**

हम सभी अपने घरों के आस-पास, दफ़्तर जाते समय, सब्ज़ी खरीदते समय आदि जगहों पर छोटे-छोटे बच्चों को नौकरी करते देखते हैं। हम सभी के मन में यह विचार अवश्य ही आता है कि आखिरकार ये बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते? क्या इसके पीछे कुछ मजबूरी है या फिर इनका विद्यालय जाने का मन ही नहीं करता। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव होने के कारण मेरे मन में तो कई अतिरिक्त प्रश्न भी आते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार–2009 लागू होने के बावजूद बच्चे विद्यालयों से बाहर क्यों हैं? क्या इसके लिए स्कूल प्रशासन ज़िम्मेदार है या फिर राज्य व केंद्र सरकार? क्या शिक्षा का अधिकार (RTE) नियम की समीक्षा करने की आवश्यकता है? ये बच्चे कौन हैं जो विद्यालय जाने में असमर्थ हैं? क्या इस श्रेणी में सिर्फ़ वही बच्चे आते हैं, जिनके कंधों पर परिवार या गरीबी का बोझ है या फिर कोई और श्रेणी भी इसके अंतर्गत आती है? क्या भारत देश में, जहाँ विभिन्न भौगोलिक स्थितियाँ, विभिन्न भाषाएँ, तीज-त्योहार हैं, वहाँ पर बच्चों को विद्यालय न पहुँच पाने का एक ही कारण है या फिर इसके पीछे भी विभिन्न कारण हैं?

ये सभी प्रश्न व विचार मेरे मन में बार-बार आने के कारण मेरे लिए यह जानना ज़रूरी हो गया था कि इतने प्रयासों के बावजूद भी बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? इसलिए मैंने अलग-अलग बच्चों से व उनके माता-पिता से, शिक्षकों व अलग-अलग राज्यों में चल रहे शिक्षा अभियान से जुड़े प्रयासों को भी जानने की कोशिश की। इस लेख की शुरुआत मैं एक घटना से करना चाहूँगी जो मेरी इंटर्नशिप के दौरान की है और साथ ही अपने अनुभवों को भी साझा करना चाहूँगी जिससे हमें समझने में मदद मिले कि बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं?

अपनी बी.एल.एड. की इंटर्नशिप के दौरान मुझे चार महीने तक कक्षा पहली के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्य करने का अवसर मुझे दिल्ली के प्राथमिक विद्यालय में मिला। विद्यालय में मुझे तरह-तरह के बच्चे मिले, जिनमें सीखने की अपनी-अपनी क्षमता थी। उन सभी के बीच मेरी मुलाकात एक छह वर्ष की ज्योति नाम की लड़की से हुई जो कक्षा में अपने छोटे भाई दीपू को साथ लेकर आती थी। उनका व्यक्तित्व बहुत सादा था। वह जल्दी से किसी बच्चे के साथ मिलती-जुलती भी नहीं थी। हर दिन एक नयी गतिविधि कक्षा में परिचित कराने के बावजूद भी वह किसी गतिविधि में भाग न लेती थी। लगभग तीन हफ़्तों तक नयी-नयी गतिविधि कक्षा

*टीचर फ़ैलो, प्रारंभिक स्कूली गणित कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

में कराने के कठिन प्रयास के बाद भी उत्तर हमेशा नकारात्मक ही मिला। उसका एक मुख्य कारण जो मुझे प्राप्त हुआ, वह था कि उसके तीन वर्ष के छोटे भाई की देखभाल जो ज्योति के नाज़ुक कंधों पर थी। किसी भी गतिविधि को करने के लिए वह इसलिए मना कर देती थी, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई को हमेशा अपने साथ ही रखना होता था। यह बात मैंने विद्यालय की प्रधानाचार्या के साथ साझा की। तो उन्होंने ज्योति के माता-पिता से उसके छोटे भाई की परवरिश घर पर ही करने का अनुरोध किया। लेकिन यह क्या? अगले दिन से तो ज्योति ने विद्यालय आना ही बंद कर दिया। काफ़ी प्रयत्नों के बाद उसके माता-पिता से बात करना संभव हुआ तो मैंने ज्योति के विद्यालय न आने का कारण पूछ ही लिया। उन्होंने कहा कि ''लड़की पढ़े या ना पढ़े कोई ज़रूरी नहीं लेकिन बेटे की परवरिश के लिए इसका घर रहना आवश्यक है''। क्योंकि पति-पत्नी दोनों ही जीवन-यापन के लिए घर-घर जाकर नौकरी करते थे, तो बेटी को ही अपने भाई की देखभाल करनी होती थी।

यह कारण मेरे लिए इतना आश्चर्यजनक था कि मुझे अब यह समझ ही नहीं आ रहा था कि ज्योति को वापस विद्यालय कैसे लेकर आया जाए? इसी घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ज्योति की तरह ही कितने बच्चे अलग-अलग कारणवश विद्यालय छोड़ने व विद्यालयों तक न पहुँच पाने का शिकार होते होंगे। अब मुझे उन कारणों को खोजने की एक अलग-सी लालसा हो रही थी, जिनकी वजह से बच्चे अभी तक विद्यालयों से बाहर हैं और विद्यालयों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं।

''शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है।'' अगर शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है तो मेरे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि आखिर हमारे देश में इतने बच्चे विद्यालयों से बाहर क्यों हैं? यह बच्चे कौन हैं जो विद्यालय पहुँचने में असमर्थ हैं? इन बच्चों को परिभाषित कैसे किया जाए? इन बच्चों के लिए राज्य व केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या अलग-अलग राज्यों में यह बच्चे अलग-अलग श्रेणी में आते हैं? क्या यह बच्चे अपनी मर्ज़ी से विद्यालय नहीं आना चाहते या इसके पीछे कुछ और कारण हैं? क्या शिक्षा का अधिकार–2009 नियम में इन बच्चों के लिए कुछ प्रावधान हैं? अगर हैं तो फिर बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं?

इसी विषय को समझने के लिए मैंने अलग-अलग बच्चे जो अलग-अलग पेशों से जुड़े थे, जैसे– बालश्रम में लगे बच्चे, गलियों में सामान बेचते बच्चे, अपने माता-पिता के कार्यों में हाथ बँटाते हुए बच्चे आदि, उनके माता-पिता व शिक्षा से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत की और अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की। उन सभी के विचारों से मुझे समझ आया कि ''जो बच्चा छह से चौदह वर्ष की आयु में किसी भी कारणवश विद्यालय जाने में असमर्थ है'' उसे विद्यालय न जाने वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें दोनों ही प्रकार के बच्चे आ सकते हैं, जैसे— पहले वे जिनका कभी भी विद्यालय में पंजीकरण नहीं हुआ और दूसरे वे बच्चे जो किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुके हैं।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 41 5/26/2017 9:26:57 AM

इतनी अधिक मात्रा में बच्चों का विद्यालय में प्रवेश न लेना इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि सिर्फ़ किसी एक या दो कारणों की वजह से बच्चे स्कूल से बाहर नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे विभिन्न प्रकार के कारण शामिल हैं। लोगों से बातचीत के दौरान कुछ निम्नलिखित कारण मज़बूती के साथ सामने आए जिनकी वजह से आज भारत के अधिकतर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

वे बच्चे जो अपने अभिभावकों के साथ उनके कार्यों में हाथ बँटाते हैं— सब्ज़ी बेचने वाले बच्चे, निर्माण कार्यों में लगे बच्चे, सड़कों पर सामान बेचते बच्चे आदि।

विशेषकर लड़कियाँ— इसका प्रमुख कारण जो मज़बूती के साथ निकलकर सामान आया वह है कि लड़कियों के अभिभावक तरुण अवस्था आरंभ होने के पश्चात् बच्चियों को विद्यालय भेजने में सुरक्षित महसूस नहीं करते। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कारण इस श्रेणी में आते हैं, जैसे— छोटे-भाई बहनों की देखभाल, घर के कार्यों की ज़िम्मेदारी आदि।

वे बच्चे जो जीवन-यापन के लिए भीख माँगते हैं— ये वो बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश अपने माता-पिता से अलग हो गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें से कुछ बच्चे अगवा कर लाए गए होते हैं, जिनसे जबरन भीख मंगवाई जाती है।

आर्थिक पक्ष का मज़बूत न होना— ऐसे परिवार जो अपना जीविकोपार्जन कठिनाई से कर पा रहे हैं।

सामाजिक रूढ़ मान्यताएँ— बाल-विवाह, लड़कियों को विद्यालय न भेजना आदि।

शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांगता— वे बच्चे जो किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं।

प्रवासी बच्चे— वे बच्चे जो जीवन-यापन के लिए अपने माता-पिता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते-जाते रहते हैं।

शिक्षक व विद्यालयी कर्मचारियों का व्यवहार— शिक्षक व विद्यालयी कर्मचारियों का ठीक से बात न करना व कड़े शब्दों का प्रयोग करना। जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती हो।

स्कूली वातावरण— मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था न होना, जैसे— छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था न होना।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 42 5/26/2017 9:26:58 AM

इन सभी कारणों को पढ़ने के बाद इस बात की तो संतुष्टि मिलती है कि हमारे देश के बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे अनुसंधान के समय एक बारह वर्ष की आयु की लड़की स्नेहा ने मुझसे कहा कि ''वह विद्यालय तो जाना चाहती है लेकिन ऐसे विद्यालय में, जहाँ पर उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और वह अपना विद्यालय भी जारी रख सके''।

स्नेहा के उत्तर से मेरा मन यह जानने के लिए विचलित था कि आखिर इन बच्चों के लिए केंद्र व राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? इसके लिए मैंने कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों से जानने का प्रयास किया। इसमें अलग-अलग राज्य, जैसे – मध्य प्रदेश अपने राज्य में ''स्कूल चलें अभियान'' चला रहा है जो विशेषकर प्रवासी बच्चों के लिए कार्य करता है। दूसरा उत्तर प्रदेश में ''समाजवादी पेंशन योजना'' जिसके अंतर्गत निरंतर विद्यालय आने वाले बच्चों को पेंशन प्रदान की जाती है। तीसरा पंजाब में प्रत्येक दिसंबर माह में ''हाउस होल्ड सर्वे'' का आयोजन (जिसके अंतर्गत वह ऐसे बच्चों की गणना व खोज करते हैं, जो विद्यालय नहीं जाते हैं, उनके कारण खोजते हैं व फिर उन कारणों के अनुसार उनका प्रावधान भी करते हैं), जो विद्यालय न आने वाले बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न अभियान बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। क्योंकि सभी राज्यों में अलग-अलग कारणों से बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जैसे— हरियाणा में बच्चे बाल श्रम में लगे होने के कारण विद्यालय जाने में असमर्थ हैं। इसलिए आवश्यक है कि राज्य अपनी सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए अपने यहाँ के बच्चों के लिए कार्य करें। इन पूरी परिस्थितियों को समझने पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन्न कारणों से बच्चे विद्यालय पहुँचने में असमर्थ हैं, अब प्रश्न "शिक्षा का अधिकार–2009" पर उठता है कि आखिर जिस नियम के अनुसार प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रस्तुत होना आवश्यक है, उसके होते हुए अधिक मात्रा में बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं?

शिक्षा का अधिकार–2009 के अनुसार बच्चे को उस कक्षा में दाखिला दिया जाएगा जिसके लिए उसकी आयु उपयुक्त है, बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर बाकी बच्चों के बराबर पहुँचा कर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

इन कठिन परिस्थितियों में इन बच्चों का विकास व इन्हें विद्यालय तक लेकर आने की चुनौती निरंतर सामने है—

- शिक्षकों व माता-पिता को शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 से अवगत कराया जाए। जिसमें साफ़-साफ़ लिखा है कि किसी भी कागज़ी कार्यवाही के चलते बच्चे के दाखिले में विलंब नहीं किया जाएगा क्योंकि अधिकतर यह पाया गया है कि कागज़ी कार्यवाही के भय से अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए सहमत ही नहीं होते।
- बच्चों के अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि वह अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। साथ ही उन्हें महसूस कराया जाए कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है तथा यह कितना आवश्यक है।

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 43 5/26/2017 9:26:58 AM

क्योंकि आवश्यकता अधिगम का आधार है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती, तब तक हम उसे सीखने के लिए इच्छुक भी नहीं होते। इसलिए आवश्यक है कि उनके जीवन-यापन के कार्य व शिक्षा के बीच एक संबंध बना कर उन्हें समझाया जाए।

- विभिन्न राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करें। क्योंकि अलग-अलग राज्यों में बच्चों के स्कूल में प्रवेश न लेने के अलग-अलग कारण हो सकते हैं।
- केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य के कार्यों में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। विकेंद्रीकरण के साथ-साथ केंद्रीकरण की भी एक विशेष भूमिका है। इसलिए राज्य स्तर पर हो रहे विभिन्न कार्यों को एक माला में पिरोकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- अध्यापक प्रशिक्षण देते समय यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या अध्यापक स्वयं प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हैं और क्या विभिन्न प्रशिक्षणों से मिलने वाले सुझावों को वह अमल में लाते हैं या नहीं, इस पर भी जाँच की आवश्यकता है।
- अध्ययन सामग्री मातृभाषा में होनी चाहिए जिससे बच्चे एक संबंध बना सकें।
- विद्यालयी स्तर पर स्वयंसेवक कार्य कर सकते हैं जो विद्यालय और समाज के बीच एक पुल बनाने का कार्य कर सकते हैं व साथ ही एक रिकॉर्ड रजिस्टर तैयार कर सकते हैं, जिसमें सभी रिकॉर्ड रखें और इसकी विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) में चर्चा कर सकते हैं।
- विद्यालयों को गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) व मदरसों के साथ एक संबंध कायम करना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर बच्चे तालीम के लिए मदरसे जाते हैं।
- बच्चों के लिए कुछ ऐसे स्कूलों का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिससे वह अपने कार्यों को जारी रखते हुए अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ा सकें।
- कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो निर्माण कार्य में काम करते हैं। इसलिए इन बच्चों के साथ उसी स्थान पर अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ पर निर्माण कार्य जारी है।

इस प्रकार मैंने कुछ कारण व सुझाव खोजने की कोशिश की है। यह सिर्फ़ समझने का एक प्रयास है कि आखिर हमारे देश में बच्चे विद्यालयों से बाहर क्यों हैं? हम सभी को इस पर मिलकर काम करने की आवश्यकता है जिससे देश के शत-प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में जा सकें व विकास का एक बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

संदर्भ

बच्चे और हमारी ज़िम्मेदारी. बच्चों का अधिकार वैकल्पिक प्रोटोकॉल सहित. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार.

भारत का राजपत्र. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009.*

स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ़ आउट ऑफ़ स्कूल चिल्ड्रेन. एडमिटेड इन एज अप्रोप्रिएट क्लासेस अंडर आर.टी.ई. एक्ट, 2009. गाइडलाइन्स, एन.सी.ई.आर.टी.

Prathmik Shikshak Oct- Jan 2016.indd 44 5/26/2017 9:26:58 AM